## न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 40 / 2022

**प्रार्थी –**

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थीगण –**

1. नवीन कुमार पुत्र मांगीलाल जाति जैन निवासी खेतेश्वर कॉलोनी महाबार रोड बाड़मेर (मैसर्स माँ कृपा ट्रेडिंग क0 जोगियों की दड़ी, बाड़मेर का मालिक)
2. नवनीत कुमार डारेक्टर ऑफ मैसर्स ब्राण्ड कॉम्फी एग्रो फूड प्रा0 लि0 नियर मैन जायतू सेक्टर 27–28 हिसार (हरियाणा)
3. भगवंत राय डायरेक्टर ऑफ मैसर्स ब्राण्ड कॉम्फी एग्रो फूड प्रा0 लि0 नियर मैन जायतू सेक्टर 27–28 हिसार (हरियाणा)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री मुकेश जैन, अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

### आदेश

दिनांक : 28.06.2023

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान **मैसर्स माँ कृपा [illegible] जोगियों की दड़ी, बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **06.12.202[illegible]** [illegible] **(ब्राण्ड कॉम्फी)** जो आधा लीटर के 3 कार्टून [illegible] मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल कुल दो [illegible] क्रय किया जाकर [illegible] संख्या **पी–1463** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी (500 एमएल)(ब्राण्ड्र कॉम्फी)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी (500 एमएल)(ब्राण्ड कॉम्फी)** का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फॉर्म नंबर VA और फॉर्म नंबर 6 मेमोरेण्डम ऑफ फूड एनालिस्ट में उल्लेखित नमूने का बैच नंबर सीएम–8डीआई है जबकि खाद्य विश्लेषक द्वारा उल्लेखित बैच नंबर ओएम–801 है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उल्लेखित एवं खाद्य विश्लेषक द्वारा उल्लेखित बैच नंबर में भिन्नता है जिससे जाहिर होता है कि खाद्य विश्लेषक द्वारा उस नमूने की जांच नहीं की गई है जिसका उल्लेख खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया है। लिहाजा प्रस्तुत प्रकरण खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के 6वें संशोधन 2021 के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित किया है कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला की जांच में Fatty acid contents for Ghee संबंधित प्रावधान गजट प्रकाशन की तिथि 01.07.2022 के 2 वर्ष की अवधि के पश्चात लागू होगा। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति [illegible] मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूने की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **17.12.2021** में उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया। प्रयोगशाला जांच में **B.R. Reading at $40^0$ C** का मानक स्तर **40.0 से 43.0** के मुकाबले **44.22** एवं **Test for foreign fat** का मानक स्तर **should be absent** की तुलना में **Foreign**

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर

**fat present (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of Ghee)** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के 6वें संशोधन 2021 के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेखित किया है कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला की जांच में Fatty acid contents for Ghee संबंधित प्रावधान गजट प्रकाशन की तिथि 01.07.2022 के 2 वर्ष की अवधि के पश्चात लागू होगा। लिहाजा उक्त आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाकर निस्तारित किया जावे। इस प्रकार अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा खाद्य पदार्थ के नमूने के अवमानक पाये जाने के संबंध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त उल्लेखित विधिक प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर प्रयोज्य नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उसके व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता व मानकता के प्रति उनके दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना **अवमानक** पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 4,50,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:17:44 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते